

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचनसदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रे.नो./55/2017

दिनांक:30 जून, 2017

प्रेस नोट

विषय: प्रथम बार निर्वाचकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शेष रह गए निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान (18-19 वर्ष की आयु समूह (21 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है) में युवा भारतीय नागरिक

भारत निर्वाचन आयोग ने 18-19 वर्ष की आयु समूह में शेष रह गए पात्र युवा नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पात्र निर्वाचकों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए तथा पंजीकृत मृत निर्वाचकों, यदि कोई हो, के नामों को निर्वाचक नामावलियों से हटाने के लिए इस वर्ष 1 जुलाई से एक विशेष अभियान आरम्भ किया है। जून माह के दौरान निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारी संबंधी कार्य जैसे विद्यमान निर्वाचक नामावलियों में त्रुटियों की पहचान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा बुनियादी स्तर के निर्वाचन तंत्र के सुग्राहीकरण को पूरा कर लिया है।



शेष रह गए निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान आरम्भ किए जाने के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. नसीम ज़ैदी, निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के. जोति तथा निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत

- विशेष अभियान के दौरान, जिसे 31 जुलाई, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा, निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी राज्यों में निम्नलिखित दो क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:-
 - नए निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए फार्म 6 प्राप्त करना,
 - पंजीकृत मृत निर्वाचक, यदि कोई हो, के नामों को हटाना।
- फार्म 6 प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित माध्यम उपलब्ध होंगे:-
 - ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) के कार्यालय में फार्म 6 प्रस्तुत करना
 - डाक द्वारा फार्म 6 भेजना
 - राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर फार्म 6 का आनलाइन प्रस्तुतीकरण
 - उपर्युक्त के अतिरिक्त, बीएलओ 1 जुलाई, 2017 और 31 जुलाई, 2017 से (विशेष अभियान की तारीखों को छोड़कर) घर-घर जाकर विशेषकर 18-19 वर्ष की आयु समूह के आवेदकों, (21 वर्ष की आयु तक बढ़ाई जा सकती हैं से फार्म-6 एकत्रित करेंगे)
 - सीएससी भुगतान के आधार पर आनलाइन भरने तथा हार्ड कॉपी फार्म डिजिटलाइजेशन की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

4. विशेष अभियान की तारीखे: जुलाई 2017 के माह में विशेष अभियान दो तारीखों पर आयोजित किए जाएंगे जिसे राज्य के मुख्यनिर्वाचन अधिकारी द्वारा मीडिया के माध्यम से सम्यक रूप से प्रचारित किया जाएगा। इन तारीखों पर, प्रत्येक मतदान केन्द्र में शिविर लगाया जाएगा जहां बूथ लेबल अधिकारी पर्याप्त संख्या में फार्म 6 लेकर बैठेंगे, आवेदकों से फार्म 6 प्राप्त करेंगे। शिविर के दिन, सम्पूर्ण अन्तिम निर्वाचक नामावली, 2017 तथा इसके अनुपूरक, यदि कोई हो, को मतदान केन्द्रों की दीवार पर चिपकाया जाएगा। बीएलओ द्वारा उस तारीख को नामावली को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा। शेष रह गए पात्र नागरिक फार्म 6 भर सकते हैं और इसे मतदान केन्द्र पर ही बीएलओ को दे सकते हैं, अथवा विशेष अभियान के दौरान किसी अन्य उपलब्ध माध्यमों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष शिविर का आयोजन 1 जुलाई, 2017 तथा 31 जुलाई, 2017 के मध्य कम से कम किसी दो अलग-अलग दिनों पर सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों (कालेज तथा विद्यालय)/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। जबकि फोकस, फार्म 6 के माध्यम से नए पुनः पंजीकरण पर हैं, अन्य फार्म अर्थात् फार्म 6क, 7, 8 तथा 8क की प्राप्ति सामान्य रूप से होगी।
5. सभी दावे आपत्तियों की सूची संबंधित ईआरओ/ईईआरओ के कार्यालय के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक संवीक्षा के लिए प्रदर्शित की जाएगी।
6. पंजीकृत मृत निर्वाचकों के नामों की प्रविष्टियों को हटाना: विशेष अभियान के दौरान, मृत निर्वाचकों के नामों को भी हटाया जाएगा। पंजीकृत मृत निर्वाचक, यदि कोई हो, की निर्वाचक नामावली प्रविष्टि की पहचान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार से पंजीकृत मृत्यु पर डाटा एकत्रित किया जाएगा और ऐसी पंजीकृत मृत्यु प्रविष्टियों की पहचान होने पर निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इन्हें हटा दिया जाएगा।
7. फार्मों का निपटान: बीएलओ फील्ड वेरीफिकेशन को पूरा करने के लिए घर-घर जाएंगे। विशेष अभियान के दौरान प्राप्त किए गए फार्म-6 एवं फार्म-7 (मृत्यु के मामले) का निपटान एक माह के निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा। तथापि, इस अवधि के दौरान प्राप्त फार्म-7, फार्म-8 फार्म-8क (मृत्यु के मामले के अतिरिक्त) का निपटान विशेष अभियान के समाप्त होने पर किया जाएगा।
8. निर्वाचन आयोग ने इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए पत्र भी भेजा है।

(एस.के. दास)
अवर सचिव (मीडिया)